

प्रमाण-पत्र

जनपद मुरादाबाद में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पो० लि०, मेरठ द्वारा दिल्ली-बरेली-लखनऊ मार्ग (पुराना एन०एच०-24) (शहरी मार्ग) के कि०मी० 162-163 के मध्य बाँयी पटरी पर ग्राम मुस्तफाबाद, तहसील व जिला मुरादाबाद के गाटा संख्या-112मि०, 113मि० व 114/1 मि० पर रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प के स्थापना स्थल से मुख्य मार्ग तक आवागमन के लिए सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.065918 हे० संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं बाधक 06 वृक्ष व 02 पौधों (कुल 08 वृक्षों/पौधों) के पातन की अनुमति के सम्बंध में

"प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा उक्त प्रेषित प्रस्ताव का भली-भाँति परीक्षण कर लिया गया है तथा अधोहस्ताक्षरी इस बात से पूर्ण संतुष्ट है कि यह प्रस्ताव वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत निर्गत आदेशों व दिशा निर्देशों के अनुरूप है। तथा समस्त वांछित अभिलेख / सूचनायें संलग्न हैं। विषयगत प्रस्ताव में किसी भी बिन्दु पर कोई तथ्य छुपाया नहीं गया है। भविष्य में प्रकरण में किसी बिन्दु पर तथ्य छुपाये जाने अथवा अन्य कोई नियम विरुद्ध तथ्य प्रकाश में आने पर वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।

(नितिन श्रीवास्तव)

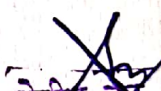
मुख्य क्षेत्रीय प्रबन्धक एवं विधिवत् गठित न्याय वादी
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि०,
मेरठ।

नितिन श्रीवास्तव
Nitin Shrivastava
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक एवं विधिवत् गठित न्यायवादी
Chief Regional Manager & Duly Constituted Attorney
हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड
Hindustan Petroleum Corporation Limited
मेरठ रिटेल क्षेत्रीय कार्यालय
Meerut Retail Regional Office



(सूरज)

प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
मुरादाबाद।


क्षेत्रीय वन अधिकारी
मुरादाबाद